–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 2/2024

उनवान

विश्राम पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री श्रवण
2. कैलाश,
3. कान्ता,
4. गोविन्द,
5. जीवणी
6. मुन्ना पि0 श्रवण,
7. रामी पुत्री श्रवण
8. सेवाराम पुत्र घासी,
9. सोदान पुत्र घासी जाति जाट नि0 मोतीपुरा, नसीराबाद,
10. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :– 2 जरिये अधिवक्ता श्री नितेश यादव,
10 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

11. अमरी पत्नी चन्द्रा,
12. कौशल्या पुत्री रामदेव,
13. गंगा पुत्री हरकरण,
14. गोटी पुत्री नन्दा,
15. छगनलाल पुत्र गोकुल,
16. छोटी पत्नी रामचन्द्र,
17. ज्ञानप्रकाश पुत्र रामदेव,
18. नारायणी पुत्री रामचन्द्र,
19. पुखराज पुत्र रामचन्द्र,
20. पप्पूडी पुत्री रामचन्द्र,
21. पूसी पुत्री हरकरण,
22. पिंकी पुत्री रामचन्द्र,
23. बलफा पुत्री रामचन्द्र,
24. गजमल पुत्र भवंरलाल,
25. माया पत्नी धारू,
26. रामधन पुत्र पांचू,
27. रामरतन पुत्र पांचू,
28. शौकीन पुत्र रामलाल,
29. श्रीराम पुत्र नन्दा,
30. सादेन पुत्र पांचू,
31. सुखपाल पुत्र नन्दा,

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

32. संजा पुत्र रामदेव,
33. सुप्यारदेवी पत्नी रामदेव,
34. सपंत पुत्री नन्दा,
35. सुमित्रा पुत्री नन्दा,
36. सोनू पुत्र धारू समस्त जाति जाट नि0 मोतीपुरा, नसीराबाद,
37. बैंक आफॅ राजस्थान स्टेशन रोड, अजमेर,
38. आई.सी.आई.सी.आई बैंक देराठू, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 22.5.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 193 रकबा 0.26 की आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। आवेदनकर्ता अपनी उक्त आराजी में आवागमन हेतु हाल खसरा नम्बर 191 रकबा 0.18 से होकर अपनी खातेदारी आराजी में आता जाता है। खसरा नम्बर 191 अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर आवागमन का एक मात्र रास्ता है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 191 के पूर्व में खसरा नम्बर 374 राजस्व अभिलेख में खेल मैदान के नाम है। उक्त खेल मेदान में ग्रामवासियों का सार्वजनिक देवस्थान है। 374 के खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। आवेदनकर्ता अपनी खातेदारी आराजी की मूल्य वृद्वि करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

तहसीलदार नसीराबद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। खसरा नम्बर 193 रकबा 0.26 प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की सह खालेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 191 रकबा 0.10 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। खसरा नमबर 374 रकबा 0.28 खेल मेदान के नाम है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 374 से सबंधित विभाग को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार भी खसरा नमबर 374 खेल मेदान के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के बीच में से रास्ता प्रस्तावित किया है। अन्य वैकल्पिक रास्ता भी बताया गया है। खसरा नम्बर 196 व 195 में पक्का निर्माण भी बताया गया है। साथ ही खसरा नम्बर 194, 195 व 196 में से वैकल्पिक रास्ता बताया गया है। किन्तु खसरा नम्बर 194 से 196 के खातेदार प्रकरण में पक्षकार नही है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 191 में से रास्ता चाहा है किन्तु इस खसरा नमबर में से रास्ता देने पर खसरा नम्बर 374 खेल मेदान के दो टुकडे हो जायेगे। खेल मेदान सार्वजनिक कार्य छात्र—छात्रा के खेल हेतु आवंटित किया गया हैं उक्त खेल मेदान के बीच में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। साथ ही संबंधित विभाग को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। अतः प्रार्थी चाही गयी आराजी पर मार्गाधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:44 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। प्रार्थी वैकल्पिक रास्ते के खातेदार को प्रकरण में पक्षकाार मुर्तिब कर नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु, स्वतंत्र है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:44 IST
Reason: SelfAttested